

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-देवगाँवतीन गोवंश व काटने के उपकरण के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एव अपराधियों एव पशु तस्करो के विशेष रूप से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में देवगाँव पुलिस को मिली सफलता - दिनांक 30.03.2021 को प्रभारी निरीक्षक देवगाँव के नेतृत्व में पशु तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में सूचना मिली कि ग्राम कटौली बुजुर्ग में मेहताब के घर में एक समुदाय विशेष के कुछ लोग कुछ गोवंश को अपने घरों में बद्ध करने वाले हैं। इस सूचना पर थाना देवगाँव के पुलिस टीम द्वारा धरातलीय अभिसूचना संकलन पर अभियुक्त मेहताब के घर में दबिस दी गयी तो बद्ध की तैयारी के हालत में दो अदद गाय एक अदद बछड़ा बद्ध के उपकरण एव पूर्व में बद्ध की गयी गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर समूचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है। मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम है।

अभियोग पंजीकृत-

1-मु0अ0स0 53/2021 धारा 3/5ए/5/8 गोवध निवारण अधि0 11 पशु क्रूरता अधिनियम

गिरफ्तारी का स्थान-ग्राम कटौली बुजुर्ग , दिनांक 30.03.2021 , समय 18.30 बजे

बरामद बस्तु-

(1) तीन अदद गोवंश ,

(2) काटने के उपकरण रस्सी, लकड़ी का ठेहा, चापड़, आदि

(3) इलेक्ट्रॉनिक तराजू वाट एव माप

(4) गोवंश के पूर्व में बद्ध किया गया गोवंश का हड्डी , सिग , मुण्ड

गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता----

1- मो0 माजिद पुत्र अरशद नि0 नगवा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

पूछताछ अभियुक्त---- गिरफ्तार शुदा अभियुक्त मो0 माजिद पुत्र अरशद नि0 नगवा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ से पूछने पर बताया कि हम सब कुल 06 लोग हैं। हम लोग मिल कर लावारिस गाय व गोवंश को पकड़ कर मेहताब के घर में बद्ध कर देते हैं और वही से माँस को गावों में व आस पास के लोगों को बेच देते हैं और उससे प्राप्त पैसे को हम लोग आपस में वाट लेते हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

(1) उ0नि0 रंजय कुमार सिंह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

(2) हे0का0 संतोष तिवारी थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

(3)का0 ऐश कुमार थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

(4) का0 अरुण सरोज थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

(5) का0 भानू प्रताप थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

(6) का0 संदीप सोनकर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

थाना- रानी की सरायलडकी के साथ दुष्कर्म करने वाला परमिल सिंह उर्फ लोहा सिंह गिरफ्तार

दिनांक 30.03.2021 को वादिनी थाना रानी की सराय आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी द्वारा अपने खेत में साड़ हाकने जा रही थी तभी गांव के ही परमील सिंह उर्फ लोहा लिया पुत्र रामाधार सिंह द्वारा जबरजस्ती दुराचार किया गया। प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 31/2020 धारा 376 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में दिनांक- 31.03.2021 को प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के कुशल निर्देशन में ब0उ0नि0 उदय राज यादव मय हमराही फोर्स के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 31/2021 धारा 376 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी एक्ट एक्ट में वांछित अभियुक्त परमिल कुमार सिंह उर्फ लोहा सिंह पुत्र स्व0 रामाधार सिंह ग्राम भंगहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को समय 13.15 बजे काजीभीटी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 31/2021 धारा 376 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट, थाना-रानी की सराय, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1- परमिल कुमार सिंह उर्फ लोहा सिंह पुत्र स्व0 रामाधार सिंह ग्राम भंगहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- ब0उ0नि0 उदय राज सिंह, कां0 सुनील कुमार यादव, कां0 अमित कुमार पाल, थाना- रानी की सराय, आजमगढ़ ।